

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजि० धौलपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :-

हरफूल सिंह यादव (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :-

95 / 2016

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये पदमसिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
धौलपुर (राज०) —आवेदक

बनाम

- 1- प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री सुभाषचन्द गुप्ता निवासी विरजापाड़ा पुराना शहर धौलपुर प्रो० मैसर्स प्रशांत किराना स्टोर कोठी धौलपुर
- 2- मैसर्स प्रशांत किराना स्टोर कोठी धौलपुर (राज०)
- 3- श्री सन्तोष कुमार गोयल पुत्र श्री हरेश चन्द गोयल निवासी शिवाजी नगर, पुराना शहर धौलपुर प्रो० मैसर्स शिवा एजेन्सीज लाल बाजार धौलपुर (राज०)
- 4- मैसर्स शिवा एजेन्सीज लाल बाजार धौलपुर (राज०)।
- 5- गोविन्द खण्डेलवाल जे-854 दुर्गा मन्दिर चौराहा, नई मण्डी रोड, दौसा (राज०) स्वामी मैसर्स सर्वेश्वर सेल्स नई मण्डी रोड दौसा (राज०)
- 6- मैसर्स सर्वेश्वर सेल्स नई मण्डी रोड दौसा (राज०)
- 7- श्री धर्मेन्द्र हंसराज कोटक नौमिनी, मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि० सी/ऑफ मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई-168 रोड नं०95 वी.के.आई. एरिया बनीपार्क, जयपुर (राज०)।
- 8- मैसर्स नेस्ले इण्डिया लि० सी/ऑफ मैसर्स लक्ष्मी एजेन्सीज ई-168, रोड नं०95 वी.के.आई. एरिया बनीपार्क, जयपुर (राज०)।

————अभियुक्तगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-26 की उपधारा (2)(11)/51 एवं
52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011



उपस्थिति :-

आवेदक की ओर से
अभियुक्त की ओर से

:- स्वयं श्री पदमसिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
:- श्री प्रदीप कुमार गुप्ता एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 26.10.2018

प्रस्तुत न्याय निर्णायन कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारम्भ की गयी, जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 05-06-2015 को समय दोपहर 3:00 बजे प्रशांत किराना स्टोर कोठी धौलपुर का निरीक्षण कर दुकान पर मौजूद व्यक्ति प्रशांत गुप्ता पुत्र श्री सुभाषचन्द गुप्ता को अपना परिचय देते हुए विक्री के लिए संरक्षित मैगी (2मिनट नूडल्स) (140 ग्राम पैक) में मिलावट का शक होने पर जाँच हेतु नमूना लेने की सूचना फार्म-5ए पर विक्रेता को देकर एवं कुल 16 पैक मैगी (2मिनट नूडल्स) कुल 320/- (तीन सौ बीस) रुपये अदा करते हुए रसीद

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

प्राप्त कर नियमानुसार नमूना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी-848 के अन्तर्गत संग्रहीत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी सं01 व 2 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं03 व 4 को तथा प्रत्यर्थी सं03 व 4 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं05 व 6 को एवं प्रत्यर्थी 5 व 6 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी 7 व 8 को कार्यवाही में शामिल किया गया।

उक्त लिये गये नमूना को वास्ते जॉच खाद्य विश्लेषक अलवर राजस्थान को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर राजस्थान द्वारा अपनी रिपोर्ट आख्या संख्या-एल. एस/624/एक्ट/2015/615 दिनांक 18-06-2015 द्वारा उक्त नमूना को अवमानक एवं मिथ्या छाप घोषित किया गया, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे सन्तुष्ट होकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पाबंद किया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संग्रहीत नमूना की जॉच खाद्य विश्लेषक द्वारा एफ.एस.एस.ए. आई की एडवायजरी दिनांक 08-06-2015 के आधार पर की गयी है। जबकि प्रत्यर्थी का नमूना की उत्पादन तिथि 4/2015 है किसी भी कानून का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। अतः खाद्य विश्लेषक की आख्या अविधिक है। साथ ही मैगी नूडल्स खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य सहयोज्य विनियम-2011 के विनियम 2.12 के अन्तर्गत प्रोपराइटरी खाद्य है जिसका कोई मानक अधिनियम में विहित नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-3.1 (जेड एक्स) के अनुसार केवल वही खाद्य अवमानक घोषित किये जा सकते हैं, जिनका मानक अधिनियम में विहित हो। इस प्रकार मैगी नूडल्स कानून के अनुसार कदापि अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता। अप्रार्थीगण द्वारा मैगी नूडल्स द्वारा एफ.एस.एस.ए. आई प्रोडक्ट एप्रूबल प्राप्त करने के पश्चात ही विनिर्माण किया जा रहा था।

खाद्य विश्लेषक ने अपनी आख्या में नमूना को धारा- 3.1 (जेड.एफ.) (सी) (i) के अन्तर्गत मिथ्या छाप भी घोषित किया है। अधिनियम की धारा-3.1 (जेड एफ) (सी) 1 के अनुसार कोई नमूना मिथ्या छाप होगा यदि उसमें रंग मिला गया है, किन्तु उसकी घोषणा लेवल पर नहीं की गयी है। उक्त मामले में खाद्य विश्लेषक की आख्या में लेवल के वर्णन में रंग की सूचना लेवल पर मुद्रित होना स्वतः वर्णित है। अतः खाद्य विश्लेषक की आख्या स्वतः त्रुटिपूर्ण है।

विपक्षीगण द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि नमूना की जॉच करने वाली प्रयोगशाला अधिनियम की धारा-3 (पी) व धारा-43 की शर्तों को पूरा न करने के कारण खाद्य प्रयोगशाला की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि उक्त प्रयोगशाला न तो एनएबीएल द्वारा एक््रीडेटेड है और ना ही एफ.एस.एस.ए. आई द्वारा अधिसूचित। अतः उक्त प्रयोगशाला की आख्या के आधार पर विधिक कार्यवाही संचालित नहीं की जा सकती है। यह कि एडवायजरी जिसके आधार पर उक्त

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

जॉच की गयी है, भी कानून का बल नहीं रखती। क्योंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-92 एवं 93 के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के कारण उक्त एडवायजरी कानूनी अस्तित्व नहीं रखती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में अपने परिवाद में उल्लेखित कथनों को दोहराते हुये कहा कि मैगी नूडल्स को प्रयोगशाला की जॉच में सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड घोषित किया है जिसके लिये समस्त अप्रार्थीगण जिम्मेवार है, जिन पर अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश करते हुये अपने प्रतिवादपत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपने तथ्यों के समर्थन में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा 2015 (1) एफएसी 56 मै0 नेस्ले इण्डिया लि0 बनाम् एफ.एस.एस.ए. आई में पारित निर्णय एवं माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों-2016 एफएसी-248 खाद्य निरीक्षक बनाम् बैजू व अन्य, 2016 (1) एफएसी-370 वी0 प्रशान्त एवं अन्य बनाम् खाद्य निरीक्षक तथा 2017 (1) एफएसी-74 एनजे थॉमस व अन्य बनाम् खाद्य निरीक्षक व अन्य साथ ही बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या-2746/2013 व्हाइटल न्यूट्रासिटीकल प्रा0लि0 व अन्य बनाम् भारत संघ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष याचिका (सिविल) 23782-74/2014 में पारित निर्णयों का उल्लेख किया व राजस्थान राज्य हेतु एफ.एस.एस.ए. आई द्वारा अधिसूचित खाद्य प्रयोगशालाओं की सूची भी प्रस्तुत की, जिसमें अलवर प्रयोगशाला का उल्लेख नहीं है व अन्त में उक्त वाद कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन व विश्लेषण किया गया। प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य नमूना मैगी नूडल्स एक प्रोपराइटरी खाद्य है, जिनके लिये 2011 के विनियमों में कोई मानक निर्धारित नहीं है। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित नहीं कर पाया है कि मैगी नूडल्स एक प्रोपराइटरी खाद्य ना हो। प्रकरण में लिये गये नमूने के पैकेट पर ही इसे प्रोपराइटरी खाद्य घोषित किया हुआ है। किसी खाद्य पदार्थ को अमानक घोषित किये जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसके मानक निर्धारित किये गये हो। इस प्रकार प्रोपराइटरी खाद्य जिसका मानक एक्ट में विहित नहीं है उसे अवमानक घोषित नहीं किया जा सकता। अधिनियम की 3.1 (जेड एक्स) के अनुसार कोई नमूना अवमानक घोषित करने हेतु यह अति आवश्यक है कि उसका मानक अधिनियम में विहित हो इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की आख्या इस बिन्दु पर त्रुटिपूर्ण है।

खाद्य विश्लेषक ने अप्रार्थीगण के नमूना को 3.1 (जेड एक्स)सी (I) के अन्तर्गत मिथ्या छाप माना है। उक्त धारा के अनुसार खाद्य में रंग मिलाने के पश्चात लेबल पर सूचना अंकित नहीं किये जाने पर खाद्य मिथ्या छाप होगा किन्तु उक्त मामले में खाद्य विश्लेषक की आख्या में नमूना का

निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)